न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
36/2025	03.07.2025	28.11.25

रामसिंह योगी पुत्र गोपीनाथ, योगी निवासी श्यामपुरा तह0 तलावडा ––प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील तलावडा ––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री दिलीप कुमार पैगोरिंया, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 151 ख0न0 850, 851, 854, 855, 860, 861, 862, 863 एवं खाता संख्या 152 ख0न0 856 ग्राम तलावडा तहसील तलावडा मे स्थित है। प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि मे प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र गोपीनाथ के स्थान पर काडू पुत्र गोपी, प्रार्थी के घर का बोलता नाम है जो दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थी की पहचान के समस्त दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि मे प्राथ्री का नाम रामसिंह योगी पुत्र गोपीनाथ अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खाता संख्या 151 ख0न0 850, 851, 854, 855, 860, 861, 862, 863 एवं खाता संख्या 152 ख0न0 856 ग्राम तलावडा तहसील तलावडा मे दर्ज नाम काडू पुत्र गोपी के स्थान पर रामसिंह योगी पुत्र गोपीनाथ संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 151, 152, ग्राम तलावडा, फोटोकोपी आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामशाह कार्ड, पहचान पत्र प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार तलावडा से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक भूअ/25/1632 दिनांक 07.10.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का तलावडा की मूल रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करवाए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि ग्राम तलावडा की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 151 मे कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

किता 8 कुल रकबा 0.61 है0 मे प्रार्थी काडू पुत्र गोपी हिस्सा 1/3 के रूप मे दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 152 मे नाम दर्ज है। ग्राम तलावडा के नामान्तकरण संख्या 93 के द्वारा किशन्या बल्द कोरया कौम जोगी की विरासत रामसहाय पुत्र किसन्या 1/2 परसादी काडू पुत्र गोपी 1/2 हि0 ब0 के नाम दर्ज कर स्वीकृत हुआ। जिसका अमल खसरा चौसाला जमाबंदी संवत 2050–53 के खाता संख्या 256 पर हुआ। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 92 द्वारा गोपी पुत्र किसन्या की विरासत परसादी, काडू पुत्र गोपी के रूप मे दर्ज होकर स्वीकृत हुई। जिसका अमल जमाबंदी चौसाला संवत 2050–53 के खाता संख्या 251 पर दर्ज किया गया। अतः रिकॉर्ड के अनुसार उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। जो विरासत के माध्यम से प्राप्त होकर वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 151 मे हिस्सा 1/3 के रूप मे दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि का मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट के अनुसा अनुसार प्रार्थी का बोलता नाम काडू है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड मे रामसिंह है। जो कि दोनो व्यक्ति एक ही है। अतः मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम काडू के स्थान पर रामसिंह किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार तलावडा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 151, 152 में दर्ज नाम काडू पुत्र गोपी के स्थान पर रामसिंह योगी पुत्र गोपीनाथ दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:26 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (प्रथम) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)